**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰**
**प्रकरण संख्या 15 / 2023 (उदयपुर डिक्री)**

नाथू पिता पूरा जी मीणा मृतक के बजाय :–

1. खातूराम पिता नाथू जी मीणा, निवासी उमरडा, उपली–भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. जेता पिता नाथू जी मीणा, निवासी उमरडा, उपली–भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

............ अपीलान्टगण

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 23.06.2016 प्रकरण सं0 165 / 2011

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 30–05–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट मृतक नाथू ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमरडा में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 2149 / 7 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 4595 / 1 रकबा 1.0000 हैक्टर, 4595 मीन रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.1100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी शान्ति पूर्वक काबिज चला आ रहा है। सेटलमेन्ट के पूर्व जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 तक भूमि वादी के पिता पूरा वल्द जेता के खातेदारी हक से दर्ज थी, उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी एक मात्र वारिस होने से मालिक काबिज है। संवत् 2042 में राजस्व कर्मचारियों ने गलती से हाल आराजी नंबर 4595 / 1 रकबा 1.0000 हैक्टर, 4595 मीन रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.1100 हैक्टर भूमि बिलानाम दर्ज कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 4595 / 1 रकबा 1.0000 हैक्टर, 4595 मीन रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.1100 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:49 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–09–2012 को वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 23–06–2016 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–02–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के पिता नाथू जी केस लड़ रहे थे, जिनका देहावसान हो जाने से दिनांक 30–01–2023 को कागजों को देखने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रकरण रिमाण्ड होने पर तामिल में चल रही थी, किन्तु नोटिस की तामिल हुए बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर उक्त निर्णय पारित कर दिया, जो गलत होकर निरस्त योग्य है। इस प्रकरण में केवल साबिक व हाल नंबरों का मिलान कर निर्णय पारित करना चाहिए था। सेटलमेन्ट विभाग को पुराने इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था, इन्द्राज परिवर्तन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्व पूर्ण बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:49 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है, जिससे अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वाधिकारी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26–08–2015 को प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण पुनः अपीलान्ट/वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने व मौखिक साक्ष्य का अवसर देते हुए, कब्जे की मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना को दरकिनार रखते हुए प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट/वादी का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि ''वादी का वाद राजस्थान राज्य के विरूद्ध है। ऐसे में धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वादी को दो माह में नोटिस पश्चात्, राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर वाद पेश करना चाहिए था। वादी ने राज्य जरिये जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसे में आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत आवश्यक पार्टी को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 23–06–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए पुनः विधि के आलोक में नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष रखने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–07–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।,

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर